बेल नं० F– 553/2026

आदेश

<u>17.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **प्रताप सिंह** की ओर से **मु०अ०सं०–168/2026** अन्तर्गत धारा **281, 125(a), 125(b), 351(3) बी०एन०एस०** थाना **जरीफनगर,** जिला **बदायूँ** प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली में थाने से आख्या आहूत की गयी थी, जिसके अनुसार थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–168/2026, धारा–281, 125(a), 125(b), 351(3) बी०एन०एस० से संबंधित वाहन सं०–UP 16 MT 7709 का चालक अभियुक्त प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नामजद अभियुक्त है तथा अभियुक्त प्रताप सिंह उपरोक्त मुकदमे में वांछित है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा प्रकरण में अपराध जमानतीय प्रकृति का है। ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्त द्वारा अंकन **25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये)** का पी0बी0 व इसी धनराशि का एक जमानती दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

प्र० न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान,
जनपद बदायूँ।